संख्याः– /XXX(4)/2017–02(15)/2015

प्रेषक,

सुनील श्री पांथरी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

कार्मिक अनुभाग–04 देहरादूनः दिनांक 07 नवम्बर, 2017

विषयः– उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी एवं अपर निजी सचिवों को दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड वेतन ₹ 4600/– अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–586/61(2)/वेतन पुनरीक्षण/अधि0/2010–11 दिनांक 10.04.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड सचिवालय से समकक्षता के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों एवं अपर निजी सचिवों को राज्य सचिवालय के समीक्षा अधिकारी/अपर निजी सचिवों की भांति दिनांक 01.01.2006 से ग्रेड वेतन ₹ 4600/– अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– राज्य में गठित वेतन विसंगति समिति के 20वें प्रतिवेदन के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 722/XXVII(7)40(20)/2013 दिनांक 20 सितम्बर, 2013 द्वारा संसूचित की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय एवं कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 974/XXX(2)/2010, दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में नियमित रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारी/समीक्षा अधिकारी (लेखा)/अपर निजी सचिव के पदधारकों को वेतन बैण्ड–2 वेतनमान ₹ 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4200/– के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से वेतन बैण्ड–2 वेतनमान ₹ 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन ₹ 4600/– अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– उपर्युक्तानुसार संशोधन के फलस्वरूप इस शासनादेश के निर्गमन की तिथि से 90 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्मिक द्वारा संशोधित विकल्प दिया जा सकेगा और वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतन–संरचना की स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रक्रिया विषयक शासनादेश संख्या 395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008

(यथासंशोधित) और तत्क्रम में अग्रेत्तर शासनादेश संख्या–27/XXVII(7)(स्प0–1)2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं संख्या–697/XXVII(7)30(1)/2008 दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत सुसंगत फिटमेंट तालिका, जो शासनादेश संख्या 732/XXVII(7)40(2)/2010, दिनांक 25 सितम्बर, 2013 द्वारा निर्गत की गई है, के अनुसार किया जायेगा।

4– उक्तानुसार संशोधित वेतन निर्धारण के पश्चात् माह अक्टूबर, 2017 तक के वेतन–भत्ते के अवशेष देयकों का पूर्व में भुगतानित धनराशि से समायोजन करते हुए और नियमानुसार आयकर कटौती के उपरान्त सम्बन्धित कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। ऐसे कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता नहीं खुला हो अथवा जो अब किसी कारण सेवा में नहीं है और नियमानुसार उनको एरियर की देयता हो, को देय अवशेष धनराशि का नकद भुगतान किया जायेगा अथवा उनके लोक निर्वाह निधि (पी0पी0एफ0) खाते में जमा किया जायेगा।

5– इस संबंध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय व्ययक अनुदान संख्या–09–के लेखाशीर्षक–2051–लोक सेवा आयोग–102–राज्य लोक सेवा आयोग–00–राज्य लोक सेवा आयोग–03–राज्य लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

6– उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–383/XXVII(7)/2017, दिनांक 06 नवम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(सुनील श्री पांथरी)
अपर सचिव।

संख्याः–378/XXX(4)/2017–02(15)/2015, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. वित्त अनुभाग–5 एवं 7, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हेमा पाण्डे)
अनुसचिव।

ADHISTAAN DRAFTS